विचार बिन्दु

चापलूस आपको हानि पहुंचा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। –हरिऔध

हमने संविधान के अनुच्छेद 44 को 73 वर्षों के उपरान्त भी नहीं समझा

संविधान सभा में निदेशक तत्वों पर बोलते हुये डा. अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि निदेशक तत्वों का आशय यह है कि भविष्य में विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों ही इन तत्वों के प्रति केवल पूजनीय घोषणायें बनकर ही न रह जावें, बल्कि इन्हें कार्यपालिका तथा विधायिका के सभी कार्यों का आधार बना दिया जो इसके बाद देश में शासन के मामले में किये जावें।

निदेशक तत्व संविधान के प्रभावी भाग हैं न्यायमूर्ति के.एस. हेगडे.ने कहा है कि संविधान चाहता है कि उद्देशिका में निर्धारित लोकतंत्रात्मक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को प्राप्त किया जावे। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संविधान का लक्ष्य एक ऐसे कल्याणकारी समाज का निर्माण करना है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय हमारी राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे।

संविधान उद्देशिका में देश के लोगों ने वचन दिया है कि राज्य सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय देगा। संविधान में राजनैतिक न्याय का उल्लेख कर उन्हें मूल अधिकार दिये जो संविधान के भाग 3 में हैं और सामाजिक आर्थिक न्याय देने के कर्त्तव्य का उल्लेख भाग 4 में । यहा प्रश्न यह है कि क्या अनुच्छेद 37 के आधार पर राज्य न्याय देने से मना कर सकता है? उत्तर होगा नहीं अर्थात् राज्य कर्त्तव्य व जनता के अधिकारों में बाधायें खडी नहीं कर सकता।

हम यदि इन अधिकारों व कर्त्तव्यों की समालोचना करें तो 72 वर्ष की आजादी के बाद भी अनुच्छेद 44 को लागू नहीं करना, राज्य की उदासीनता ही कही जावेगी।

सन 1966 की राजनैतिक संधि भी यही निर्देशन देती है कि तीनों प्रकार के न्याय जनता को मिलने चाहिये। यह भी स्पष्ट हो चुका है मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्वों में नागरिकों के अधिकार व राज्य के कर्त्तव्य ही हैं ये सब मानव अधिकार हैं। अत: प्रवर्तनशील हैं और एक देश एक कानून के सिद्धान्त को मानते हुये समान नागरिक संहिता लागू करना राज्य का दायित्व है।

संविधान को प्रारूपण समिति ने बनाया है जिसके अध्यक्ष डा. अम्बेडकर थे। इसे 26.1.1950 को लागू किया। समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में आता है। कई दिनों तक इस अनुच्छेद पर बहस होने के बाद अनुच्छेद 44 को अन्य अनुच्छेदों के साथ भारत का संविधान बना। अनुच्छेद 44 में कहा गया, नगारिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी। इसके अस्तित्व के बाबत अब प्रश्न करना, अर्थहीन है। अत: जनता की राय जानना उचित नहीं है। हम संविधान को पुन: नहीं लिख सकते।

अनुच्छेद 44 संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के अनुसार होगा किन्तु संविधान के बेसिक प्रावधान (Features) को संशोधित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 44 का संशोधन नहीं हो सकता। इसे संविधान सभा में बहस के उपरान्त पारित किया गया था और 26.1.1950 से इसी रूप में संविधान का भाग है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई रिट याचिकायें पेश हो चुकी हैं जिनमें एक ही प्रश्न मुस्लिम भाईयों की ओर से उठाया गया था कि अनुच्देद 44 अनुच्छेद 37 के कारण प्रवर्तनीय नहीं है। मुस्लिम पक्ष द्वारा यह आवाज उठाई गई कि समान नागरिक संहिता उनके धर्म, कुरान व शरियत के विरूद्ध है अत: उन्हें मान्य नहीं है। मुस्लिम भाईयों का यह भी कहना है कि अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 25 तथा उनके रिवाजों में हस्तक्षेप है। आजादी से पूर्व अंग्रेजों के काल में समान नागरिक संहिता जैसा कानून नहीं था। अखण्ड भारत के समय जब सिन्ध भारत का अंग था, उस समय वहां मुसलमानों पर हिन्दू सक्सेशन एक्ट लागू था।

26.1.1950 के बाद मुस्लिम भाईयों ने अनुच्छेद 44 को संशोधित करने अथवा समाप्त करने के हेतु कोई कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट में नहीं की। समान नागरिक संहिता के विषयों में तलाक, विवाह, निर्वाह भत्ता, गोद व उत्तराधिकार के विषय आते हैं।

ट्रिपल तलाक के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने उसे संविधान के विरूद्ध माना है और मुसलमानों ने इसको शरियत के अनुसार मानकर धर्म में दखल कहा है। इस केस में अनुच्छेद 25 पर विशद विवेचन है।

संविधान चाहता है कि उद्देशिका में निर्धारित लोकतंत्रात्मक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को प्राप्त किया जावे। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संविधान का लक्ष्य एक ऐसे कल्याणकारी समाज का निर्माण करना है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय हमारी राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे।

भारतीय दण्ड संहिता द्वारा मुसलमानों के दण्ड के कानून में दखल किया है। मुस्लिम कानून में (शरियत) चोरी करने वाले व्यक्ति को हाथ काटने की सजा है जबकि भारतीय दण्ड संहिता में जेल की सजा है। अत: यह उचित होगा कि अभियुक्त से यह पूछा जावे कि उसे सजा भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार दी जावे या धर्म (शरियत) के अनुसार।

सन 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के केस में तथा श्रीमती जोर्डन डेंग के विवाद में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की है और इनके 10 वर्ष बाद भी इसे सरला मुदगल के केस में दोहराया है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभ्य समाज में धर्म व वैयक्तिक कानून में कोई संबंध नहीं है। बहुविवाह लोक नीति के विरूद्ध है।

देश में गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है और उत्तराखण्ड भी इस ओर बढ़ रहा है।

विधि आयोग व विधि आयोग के अध्यक्ष ने अलग–अलग विचार अभिव्यक्त किये हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश व विधि आयोग के चेयरमेन गजेन्द्र गडकर ने विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कहा था, 'अनुच्छेद 44 को लागू न करना भारतीय डेमोक्रेसी की असफलता है।' जस्टिस छागला ने कहा कि 'अनुच्छेद 44 को बाध्यकारी मानना चाहिये।'

देश सेक्यूलर है अत: समान नागरिक संहिता का संविधान में प्रावधान उचित है। समान नागरिक संहिता कई देशों में है। ब्रिटेन, फ्रान्स, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, गोवा, आयारलैंड, बंगलादेश, मलेशिया, तुर्की, इण्डोनेशिया, सूडान, मिस्र, पाकिस्तान आदि देश में यह समान नागरिक संहिता लागू है।

हर धर्म, जाति के लिये यह कानून है, कई मुस्लिम देशों में भी यह लागू है। बंग्लादेश, पाकिस्तान तो कभी भारत के ही अंग थे वहां भी यह लागू है। इससे पुरूष व महिला दोनों को तलाक का अधिकार मिलेगा। शादी की उम्र बढेगी, जिसके कारण महिला शादी से पूर्व ग्रेजूवेट हो सकेगी। समान नागरिक संहिता लागू होने से ऐसे सभी कानून समाप्त हो जावेंगे जिसमें लैंगिक पक्षपात दिखाई देता है। जब मुस्लिम देशों में यह सफलता के साथ लागू है कि भारत में इसका विरोध क्यों हो? कई कानूनों का सरलीकरण होगा और विवादों में समझौता हो सकेगा बहुविवाह रूकेगा।

विधि आयोग ने 31.8.2018 में फेमिली कानून में सुधार के हेतु एक Consultation Paper भेजा था। विधि आयोग ने अपनी अधूरी रिपोर्ट में कहा, Formulation of a Uniform Civil Code (UCC) is neither necessary nor desirable at this stage] चूंकि तीन वर्ष से अधिक होने के बाद भी विषय पर कोई काम नहीं हो सकता यद्यपि हित रखने वाले सभी लोगों को प्रश्नावली भेजी थी। इस कार्य में तीन वर्ष का समय हो चुका था अत: 22वें लॉ कमीशन ने पुन: प्रश्नावली भेजी हैं और 30 दिन में उत्तर, रिप्रेजेन्टेशन, अपील आदि भेजने को लिखा है। इसके अतिरिक्त Woring Paper भी भेजा जा सकता है। विधि आयोग ने निम्न पते पर अपना उत्तर भेजने का आग्रह किया है:–

Member Secretary, Law Commission of India, 4th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi 110003

लॉ कमीशन ने व्यक्तिगत सुनवाई के लिये भी लिखा था।

यहां यह लिखना समीचीन होगा कि द्वितीय विधि कमीशन पुन: सुनवाई की कार्यवाही करेगा ऐसा उनकी विज्ञप्ति/आदेश दिनांक 14.06.2023 से मालूम होता है कि सुनवाई पूर्ववर्ती विषय पर ही होगी Formulation of a Uniform Civil Code (UCC) is neither necessary nor desirable at this stage-

लॉ कमीशन की दोनों रिपोर्टस (Reports) न तो रेफरेंस के अनुरूप हैं और न आदेश हैं। उनकी इग्ह्गु का कोई आधार भी नहीं है। वह अवैध व अधिकर शून्य है। न तो ये कमीशन को रिपोर्ट हैं और न निर्णय ही। चूंकि विधानसभा ने अनुच्छेद 44 को पारित किया है अत: यह कहना कि यूसीसी की न तो आवश्यकता है और न कोई औचित्य।

इत्तेहाद–ए–मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजाखान ने यह राय दी है कि यूसीसी लागू करना भाजपा के लिये चुनाव जीतने का एक टूल है वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि समान नागरिक संहिता गैरजरूरी, अव्यावहारिक और देश के लिए हानिकारक है।

लेखक ने समान नागरिक संहिता पर शायद 4–5 लेख लिखे हैं। प्रत्येक लेख में नवीनता लाने का प्रयास है।

लेखक का अपना विचार है कि अनुच्छेद 44 यद्यपि संविधान के भाग 4 का एक अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 37 के होते हुये भी प्रवर्तनीय हैं क्योंकि भाग 4 के विषयों पर कई कानून बन चुके हैं जो देश के शासन में मूलभूत है, अत: तत्वों को लागू करना राज्य का कर्त्तव्य है। अनुच्छेद 44 संविधान कॉ ॅग्म ईूंलि है अत: इसे संशोधित नहीं किया जा सकता और न इसे संविधान से हटाया जा सकता है। चूंकि लॉ कमीशन ने अपनी प्रश्नावली भेज दी है अत: हित रखने वालों को अपना पक्ष रखना चाहिये साथ ही लॉ कमीशन के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती देना चाहिये।

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

26 घण्टे अखण्ड सूर्य नमस्कार करके आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने कीर्तिमान बनाया

जोधपुर के घण्टाघर पर 26 घण्टों तक सर्वाधिक अवधि का निरन्तर अखण्ड सूर्य नमस्कार करके विश्व कीर्तिमान रचा गया।

जोधपुर, (कासं)। "कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, कोई तबीयत से पत्थर तो उछालो यारों" की कहावत चरितार्थ की है, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर ने अखण्ड सूर्य नमस्कार का विश्व कीर्तिमान स्थापित करके।

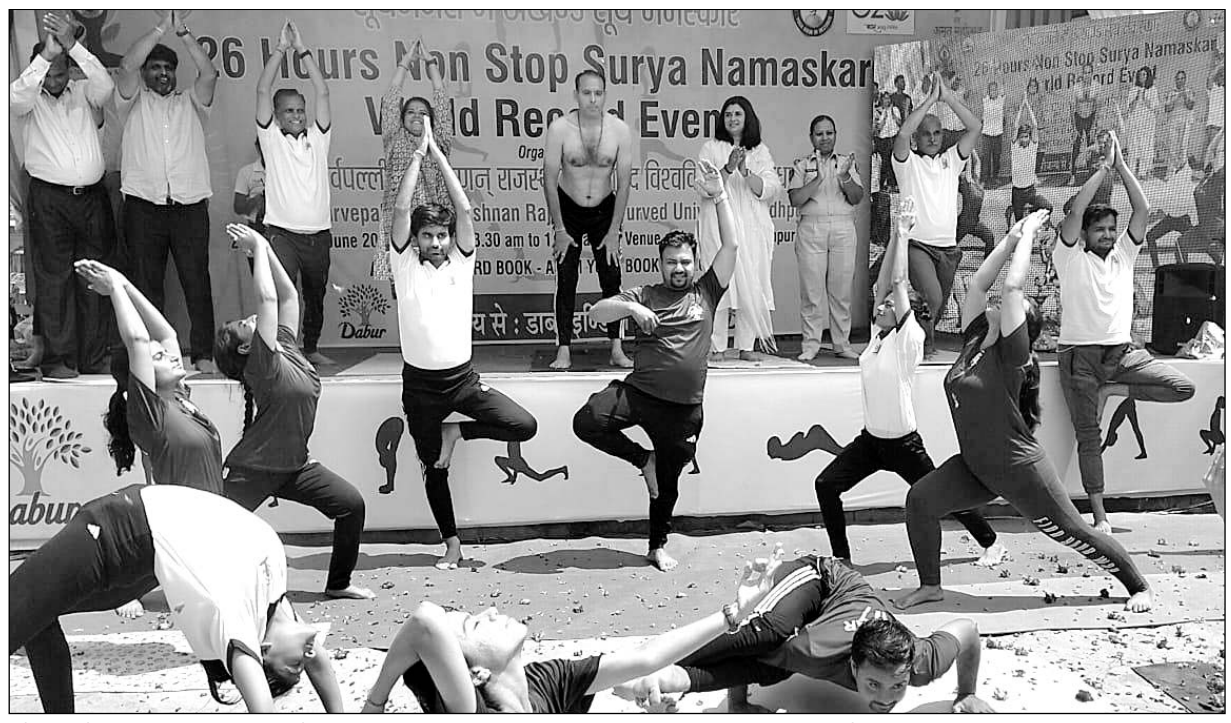

9वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से आयुर्वेद विश्वविद्यालय के उत्साही और संकल्पबद्ध शिक्षकों एवं छात्र–छात्राओं द्वारा जोधपुर शहर के हृदय–स्थल घण्टाघर पर 26 घण्टों तक सर्वाधिक अवधि का निरन्तर अखण्ड सूर्यनमस्कार करके आज विश्व कीर्तिमान रचा गया है। कुलपति प्रो. वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से बुधवार को प्रात: 8.30 बजे से घण्टाघर पर आरंभ हुये अखण्ड सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का गुरूवार को प्रात: 10.30 बजे समारोहपूर्वक समापन हुआ।

- **21 जून प्रातः से प्रारंभ हुआ अखण्ड सूर्य नमस्कार 26 घण्टों तक सर्वाधिक अवधि तक निरन्तर जारी रहा**

समारोह की मुख्य अतिथि राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल ने समारोह को संबोधित करते हुये विश्वविद्यालय द्वारा संचालित लोकप्रिय कार्यक्रमों स्वर्णप्राशन, पंचकर्म, क्षारसूत्र एवं योग की प्रशंसा करते हुये आज अखण्ड सूर्यनमस्कार के विश्व कीर्तिमान रचने के लिये विश्वविद्यालय को बधाई दी। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी निशा भटनागर समारोह की विशिष्ट अतिथि थी। कार्यक्रम के प्रारंभ में कुलसचिव सीमा कविया एवं प्राचार्य प्रो. महेन्द्र शर्मा ने अतिथिगण का साफा एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे कुलपति प्रो. प्रदीप कुमार प्रजापति ने सर्वाधिक अवधि अखण्ड सूर्यनमस्कार का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ–साथ जोधपुर की जनता को बधाई दी।

कुलपति प्रो. प्रजापति ने योग प्रभारी एवं सूर्यनमस्कार कार्यक्रम के प्रभारी डॉ. चन्द्रभान शर्मा एवं कार्यक्रम में सहभागी बने डाबर इंडिया लिमिटेड के अधिकारी प्रहलाद राय को समारोह में सम्मानित किया। समारोह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये योग प्रभारी डॉ. चन्द्रभान शर्मा ने बताया कि घण्टाघर में आयोजित इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त राज्य की सभी 40 आयुष महाविद्यालयों तथा विद्याभारती से जुडी विद्यालयों के लगभग 9000 हजार छात्र–छात्राओं ने भी सूर्यनमस्कार करते हुए वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की।

उन्होंने बताया कि शहर के योग विशेषज्ञों चेतन प्रकाश सेन, प्रेमरतन सोतवाल, रमेश चन्द्र शर्मा, मंगलाराम आदि ने घण्टाघर पर आकर संभागियों का उत्साहवर्धन किया। डीन रिसर्च एवं मीडिया प्रभारी प्रो. प्रेम प्रकाश व्यास ने बताया कि इस कीर्तिमान के आयोजन में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों, शहर के योगसाधकों एवं विदेशी पर्यटकों सहित लगभग 200 व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रो. महेन्द्र शर्मा, डीन रिसर्च प्रो. प्रेम प्रकाश व्यास, परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजाराम अग्रवाल, डीन एकेडमिक डॉ. राजेश कुमार शर्मा, चीफ वार्डन प्रो. चन्दनसिंह, चिकित्सालय अधीक्षक प्रो. प्रमोद मिश्रा, शल्य तंत्र विभागाध्यक्ष प्रो. राजेश गुप्ता, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभागाध्यक्ष डा. ए. नीलिमा, रोग विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. गोविन्द गुप्ता, स्वस्थवृत्त विभागाध्यक्ष डॉ. ब्रह्मानन्द शर्मा, मौलिक सिद्धान्त विभागाध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र चाहर, मानव संसाधन विकास केन्द्र के निदेशक डा. राकेश शर्मा, फार्मेसी निदेशक डा. विजयपाल त्यागी, पंचकर्म विभागाध्यक्ष डा. ज्ञानप्रकाश शर्मा, अगद तंत्र विभागाध्यक्ष डॉ. ऋतु कपूर, पंचकर्म विशेषज्ञ प्रो. महेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. दिनेश शर्मा, डॉ. अरूण दाधीच, डॉ. श्योराम शर्मा, डॉ. संजय श्रीवास्तव, डॉ. मोनिका वर्मा, डॉ. रश्मि शर्मा, डॉ. मनीषा गोयल, डॉ. दिनेश राय, डॉ. गजेन्द्र दुबे तथा सहायक प्रोफेसर्स डॉ. राजीव सोनी, डॉ. अशोक यादव, डॉ. नवनीत दाधीच, डॉ. पूजा पारिक, डॉ. भानू प्रिया, डॉ. प्रियंका इनाणिया, डॉ. हेमन्त राजपुरोहित डॉ. अवधेश, होम्योपेथी प्राचार्य डा. गौरव नागर, डॉ. राजीव खन्ना, डॉ. राजेश कुमावत, डॉ. नरेन पटवा, डॉ. अभिषेक भारद्वाज, डॉ. यशस्वी तथा योग प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. धन्या सहित विश्वविद्यालय के शिक्षकगण सहित स्नाश्रकोतर तथा पी एच डी अध्येतागण उपस्थित थे। कुलसचिव श्रीमती सीमा कविया ने सहयोग के लिए पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, मीडिया तथा जोधपुर की जनता का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रो. प्रेम प्रकाश व्यास तथा डॉ. दिनेश शर्मा ने किया।

मॉडिफाईड गाड़ी से 1111 दिन की यात्रा पर निकले मेहता दंपती जालोर पहुंचे

जालोर, (कासं) जयपुर के एक दम्पती अपना शोक पूरा करने के लिए पूरे भारत घूमने के लिए 1111 दिन की यात्रा पर निकले हैं। यात्रा के लिए इन्होंने गाड़ी मॉडीफाई करवाई, ताकि होटल की जरूरत यात्रा के दौरान नहीं पड़े।

जयपुर निवासी 64 वर्षीय अनिल मेहता अपनी 57 वर्षीय पत्नी गीता के साथ 1111 दिन के लिए पूरे भारत की यात्रा पर निकले हैं। अनिल बताते हैं उन्हे घूमने का शोक है। इसलिए वे अक्सर ट्रेवल करने निकले जाते हैं। लेकिन शोक के चलते इस बार उन्होने कुछ अलग करने की सोची। वे अपनी पत्नी के साथ पूरे 1111 दिन भारत के विभिन्न हिस्सों में बितायेंगे। 23 अप्रैल को उन्होंने अपने सफर की शुरूआत की थी। खास बात यह है कि वे इस दौरान किसी होटल में नहीं ठहरेंगे। वे जयपुर से गोवर्धन, मथुरा, मुरादाबाद, कुमाउ, दिल्ली, अजमेर, पुष्कर, बुटाटी, जोधपुर होते हुए जालोर पहुंचे हैं। दम्पती ने होटल में नही ठहरने के लिए एक गाडी को मॉडीफाई करवाई। करीब डेढ लाख रूपये से 37 दिन में उनकी गाडी इस टूर के लिए तैयार की गई है। उन्होंने अपनी गाड़ी को इस तरह मॉडीफाई करवाया कि गाडी में ही बेड लगा है। जहां वे आराम करते हैं। गाडी में बैड़ की सुविधा के अलावा खाना बनाने के लिए एक छोटा कीचन भी है। साथ ही उन्होंने सोलर प्लेट लगवाई है। जिससे जरूरी कार्य के लिए उन्हें बिजली मिल सके। गाडी में एक टायलेट भी है व उनके पास हमेशा पानी का स्टोरेज भी रहता है। मेहता दम्पती 1111 दिन का टूर कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड दर्ज करवाना चाहते हैं।

1111 दिन की यात्रा पर निकले मेहता दम्पती जालोर पहुंचे।

- **23 अप्रैल को अपने सफर की शुरूआत की थी, खास बात यह है कि वे इस दौरान किसी होटल में नहीं ठहरेंगे**
- **मेहता दम्पती 1111 दिन का टूर कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड दर्ज करवाना चाहते हैं**

उमस और गर्मी से उल्टी, दस्त और बुखार के मरीज बढ़े

पावटा, (निसं)। गर्मी और उसम का लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा व निजी अस्पतालों की ओपीडी में उल्टी, दस्त, बुखार, सांस रोग, खून की कमी, लीवर में पानी की कमी के मरीजों की संख्या बढ़ी है।

अस्पताल में पहले फिजिशियन से जांच करने के लिए करीब 450 तक मरीज पहुंचते थे लेकिन यह संख्या अब बढ़कर लगभग 650 से अधिक हो चुकी है। उमस के कारण अब लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। जांच करवाने के लिए सुबह से ही मरीजों की अस्पतालों में लंबी कतार लगना शुरू हो जाती है। अस्पताल की ओपीडी में अब फिजिशियन के पास ही सबसे अधिक मरीज जांच करवाने के लिए कतार में लगे हुए दिखाई देते हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा प्रभारी देवेंद्र शर्मा, डॉ. अशोक बाज्या व गुप्ता हॉस्पिटल से डॉ. रवि अंजली गुप्ता, एसजीएन हॉस्पिटल निदेशक डॉ. जय राम यादव, डॉ. दर्शन परिधा, मैक्स संजीवनी हॉस्पिटल से डॉ. सुरेंद्र यादव ने बताया कि मौसम में बदलाव के बाद ओपीडी में पहले से मरीजों की संख्या बढी है। गर्मी के कारण उल्टी, दस्त और बुखार के मरीज अधिक आ रहे हैं।

गर्मी से बचाव करें व पेय पदार्थों का अधिक सेवन कर खुद को लोग स्वस्थ रखें। मरीजों को गर्मी से बचाव के लिए धूप में कम से कम बाहर निकलें, गर्मी में अधिक से अधिक पानी का सेवन करें, जूस, नींबू पानी, शिकंजी व अन्य पेय पदार्थों का अधिक सेवन करें, तले और फास्ट फूड का सेवन न करें, पेट दर्द, सिर दर्द व अन्य किसी तरह की दिक्कत आती है तो डॉक्टर की सलाह लेने की बात कहीं।

अस्पताल में मरीज को देखते चिकित्सक।

- **अस्पताल में पहले करीब 450 तक मरीज पहुंचते थे लेकिन यह संख्या 650 से अधिक हुई**

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 23 जून, 2023

आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2080, मघा नक्षत्र शनिवार प्रात: 7:18 तक, वज्र योग रात्रि 4:31 तक, बव करण प्रात: 6:41 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–मिथुन, चन्द्रमा–कर्क, मंगल–कर्क, बुध–वृष, गुरू–मेष, शुक्र–कर्क, शनि–कुम्भ, राहु–मेष, केतु–तुला राशि में।

आज कुमार योग सूर्योदय से सम्पूर्ण दिन–रात रहेगा। आज स्कन्ध पंचमी, द्वारकाधीश पाटोत्सव, सांई टैऊँराम जयन्ती, हेरा पंचमी है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:21 तक, लाभ–अमृत 7:21 से 10:46 तक, शुभ 12:29 से 2:12 तक, चर 5:37 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 7:20

मेष
परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित परामर्श मिलेगा। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृष
घर–परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

मिथुन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

कर्क
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

कन्या
आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिके कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

तुला
परिवार में सुख–शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है।

मकर
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कुंभ
परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।